

डिक्री बमुकदमे ईत्वादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रियां सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 450/2025

बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री साजनराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

- बनाम्
1. निहाल सिंह पुत्र स्व. श्री साजनराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. सरबती देवी उर्फ सरस्वती देवी पुत्री स्व. श्री साजनराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. रणवीर सिंह पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 4. मन्जू पुत्री स्व. श्री देवीलाल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 5. कैलाश देवी पुत्री स्व. श्रीमति रेशमी देवी पुत्री स्व. श्रीमती रूकमा देवी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 6. विमला देवी पुत्री स्व. श्रीमति रेशमी देवी पुत्री स्व. श्रीमती रूकमा देवी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 7. निर्मला देवी पुत्री स्व. श्रीमति रेशमी देवी पुत्री स्व. श्रीमती रूकमा देवी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 8. सुरेन्द्र कुमार माता स्व. श्रीमति रेशमी देवी पुत्री स्व. श्रीमती रूकमा देवी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 9. जुगलाल माता स्व. श्रीमति रेशमी देवी पुत्री स्व. श्रीमती रूकमा देवी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण
यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.
टी.पी. के खाता सं. 47/45 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 5/7 हिस्सा अर्थात् 0.3614
है. कृषि भूमि में से वादी को 0.202 है कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.101 है. कृषि
भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.0294 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को 0.029
है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम
कलमजन करने एवं प्रतिवादी सं. 2, 5 ता 9 का हिस्सा कम करने तथा इसी प्रकार वादी
एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं.
15/20 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.291 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.162 है.
कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.081 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.024 है.

कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को 0.024 है. कृषि भूमि के बहिब. के खातेदार कास्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम कलमज्जन करने एवं प्रतिवादी सं. 2, 5 ता 9 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा

मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....

अज्ञा करे।

ब्रसव्त् मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.7.2025 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया